

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 971./
प्रेषक,

दिनांक 30/05/2024

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

सेवा में,

Smt. Svita Singh
Moh-Donar, Allalpatthi,
Ward No-27, Ahila,
Dist-Darbhanga
Pincode-846003
Mobile No-8521852700

विषय:- शीर्ष MMGSY योजना अन्तर्गत Munia Chowk to To Nonlya Tola तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय
अनुरक्षण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- एकरारनामा संख्या- 11/SBD/20-21 दिनांक- 20.06.2020
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा एकरारनामा संख्या-11/SBD/20-21 दिनांक- 20.06.2020 को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल कार्य दिनांक-02.03.2021 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तहर् अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार-बार मौखिक रूप से एवं मोबाईल द्वारा भी निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तों के विरुद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जाँच सहायक अभियंता, जाले द्वारा भी BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण दिनांक-07.04.2024 को किया गया, जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना BRRMS App के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाईल नं0 एवं रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी0 पर दिया गया है। फिर भी आपके द्वारा उक्त पथ में कोई सुधार नहीं किया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक-27.05.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ में कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रुटियों निम्न प्रकार से है :-

- (1) पथ क पी0सी0सी0 पथांश में चैनेज-200मी0 से 750 मी0 तथा अन्य कई जगहों में रैवेलिंग होना।
- (2) पथ के फ्लैक में चैनेज-200मी0 से 800मी0 तथा अन्य जगहों पर जंगल-झाड़ी की सफाई नहीं होना।
- (3) पथ में 200m (हेक्टोमीटर पिलर) एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।
- (4) रोड सैनेज समुचित संख्या में नहीं रहना।
- (5) मेन बोर्ड/ अनुरक्षण पट्ट एवं लोगोबोर्ड पर पुनः पेंटिंग कर सूचना अंकित करना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में वर्णित त्रुटियों को यथाशीघ्र 15 दिनों के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे, एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगे। अन्यथा SBD के Clause of Contract की कंडिका-3 अन्तर्गत उप कंडिका-(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरुद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।

विश्वासभाजन

30/05/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2

ज्ञापांक 971./ दिनांक 30/05/2024

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

30/05/24
08

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा-2